

परिशिष्ट -2(संदर्भित पेरा-4)

प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप

विद्यालय का नाम.....

आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के प्रवेश हेतु

आवेदन-पत्र

(भाग-अ)

प्रवेशार्थी

का फोटो

1. प्रवेशार्थी की सूचना:-

- 1.1 प्रवेश हेतु कक्षा
- 1.2 प्रवेशार्थी का नाम.....
- 1.3 लिंग
- 1.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 1.5 जन्म तिथि (अंको में) (शब्दों में).....
- 1.6 जाति वर्ग(SC/ST/OBC/SBC/GEN).....
- 1.7 प्रवेशार्थी का धर्म
- 1.8 क्या प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता (CWSN) श्रेणी में आता है ?

2. प्रवेशार्थी के अभिभावक से सम्बन्धित सूचना:-

- 2.1 पिता का नाम..... 2.2 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 2.3 माता का नाम..... 2.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 2.5 संरक्षक का नाम (यदि लागू हो) 2.6 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 2.7 क्या अभिभावक (BPL) श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ?
- 2.8 संरक्षक/अभिभावक (परिवार) की कुल वार्षिक आय (रुपये में)-
- 2.9 माता/पिता/संरक्षक का मोबाइल नं.

3. माता/पिता/संरक्षक का पूरा पता (संलग्न दस्तावेज के अनुसार):-

ग्राम का नाम/वार्ड नं0..... पिन कोड

ग्राम पंचायत या नगर पालिका/परिषद/निगम का नाम

ब्लॉक जिला.....

4. प्रवेशार्थी का वर्ग(संबंधित बॉक्स में ✓ करें):-

4.1 दुर्बल वर्ग

- 4.1.1 अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है। ☐

4.2 असुविधाग्रस्त समूह

- 4.2.1 अनुसूचित जाति ☐
- 4.2.2 अनुसूचित जनजाति ☐
- 4.2.3 बालक अनाथ आश्रम का निवासी है। ☐
- 4.2.4 बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक एचआईवी से प्रभावित है। ☐
- 4.2.5 बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक कैंसर ग्रस्त है। ☐
- 4.2.6 बालक की माता युद्ध विधवा है। ☐
- 4.2.7 बालक निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में है। ☐
- विशेष आवश्यकता की श्रेणी.....
- 4.2.8 पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है। ☐
- 4.2.9. बीपीएल ☐ बीपीएल क्रमांक केन्द्र/राज्य सूची..... ☐

5. निवास के सम्बन्ध में विकल्प:-

- ☐ बालक उस वार्ड (शहरी क्षेत्र के लिए) अथवा ग्राम (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) का निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है।
- ☐ बालक उस वार्ड (शहरी क्षेत्र के लिए) अथवा ग्राम(ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से बाहर का लेकिन उस शहरी स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत का निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है।
- ☐ बालक के दस्तावेज में ग्राम वार्ड का उल्लेख नहीं होने के कारण परिशिष्ट पॉच संलग्न कर दिया गया है।

नोट :-1 आयु, जाति, निवास स्थान, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

2. बालक/बालिका की आधार संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में आधार कार्ड बनवाया जाना अथवा आधार कार्ड हेतु पंजीयन करवाया जाना शीघ्र सुनिश्चित करें तथा यह नम्बर विभाग द्वारा विद्यालय के करवाए जाने वाले भौतिक सत्यापन से पूर्व सम्बन्धित विद्यालय को उपलब्ध करवा दें।
3. ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के संलग्न दस्तावेजों से मिलान नहीं होने पर अथवा किसी दस्तावेज के अपूर्ण/गलत पाये जाने पर आवेदन पत्र/निःशुल्क प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा।
4. आवेदन के समय बालक की जन्म तिथि हेतु जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर कोई अन्य दस्तावेज दिया गया है तो प्रवेश उपरान्त जन्म प्रमाण-पत्र बनवाकर विभाग द्वारा बालकों के भौतिक सत्यापन से पूर्व विद्यालय को उपलब्ध करवा दिया जाए।

(भाग-ब)

माता/पिता/संरक्षक द्वारा सशपथ घोषणा

1. मैं सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में प्रवेशार्थी व स्वयं के सम्बन्ध में दी गई समस्त सूचनाएँ सही हैं। किसी भी प्रकार की गलत सूचना के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि विद्यालय के नियमों/उप नियमों का सदैव पालन करूंगा/करूंगी।
3. मुझे यह ज्ञात है कि आवेदन क्रमांक के माध्यम से मुझे इस आवेदन की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी। मैं आवेदन क्रमांक को समय-समय पर लॉगिन कर इस जानकारी के अनुरूप विद्यालय रिपोर्टिंग तथा दस्तावेजों में पाई गई कमियों की पूर्ति निर्धारित समय पर करूंगा। टाईम फ्रेम अनुरूप कार्य नहीं करने पर मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जावे।

आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक :

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(माता/पिता/संरक्षक)